**राजस्थान सरकार**
**परिवहन विभाग**

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2014/27671 जयपुर, दिनांक 8/11/19

**कार्यालय आदेश.19/2019**

विषयः– कार्यालय आदेश संख्या 13/2018 दिनांक 24.04.2018 ''फिजा 2018'' स्कीम में संशोधन।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के वाहन फिटनेस जांच केन्द्रों के विनियमन एवं नियंत्रण करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु वाहन फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम ''फिजा 2018'' कार्यालय आदेश संख्या 13/2018 दिनांक 24.04.2018 लागू की गई थी परन्तु मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान समय में राज्य में निजी फिटनेस सेन्टर की संख्या फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त नही है एवं कुछ जिलों में निजी फिटनेस सेन्टर की स्थापना नही होने के कारण लोकहित के दृष्टिगत ''फिजा 2018'' स्कीम के बिन्दु संख्या 6 (xix) मे आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार 'परन्तुक' स्थापित किया जाता है:–

अतः जयपुर शहर को छोडकर किसी शहर/कस्बा/ग्राम के 10 कि.मी. के परिक्षेत्र (periphery) में निजी फिटनेस सेन्टर स्थापित नही होने की स्थिति में ऑटोरिक्शा (यात्री वाहन) एवं हल्का मोटर यान के फिटनेस नवीनीकरण के आवेदन को संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्वीकार किए जाकर नियमानुसार फिटनेस नवीनीकरण का कार्य निष्पादित किया जावेगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण का कार्य संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में ही निष्पादित किया जावेगा। जयपुर शहर के समस्त तिपहिया वाहन और हल्का मोटर यानों का फिटनेस नवीनीकरण का कार्य प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में ही निष्पादित किया जाएगा।

(राजेश यादव)
**परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव**

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2014/27671 जयपुर, दिनांक 8/11/19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

8/11/19
**संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)**

Scanned by CamScanner